

पत्रावली पेश हुई। आज एकादश को
 एसोसिएशन का कार्य संपन्न हुआ
 है। पीठासीन अधिकारी का कार्य
 में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश
 दिनांक 14/6/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

14/6/24

पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्रावली में
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
 दिनांक 30/8/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

31/8/24

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
 दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

22/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी आर्जी-उप. वादी
 आर्जी द्वारा रिवेदन किया गया कि वादग्रस्त
 भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीजा
 के नाम पर नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड की प्रति
 पेश की गई। राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने
 पर यह स्पष्ट होता है कि वादीजा वर्तमान
 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खालेदार नहीं है।
 अतः राजस्व-मान का रिकॉर्ड आधिकारिक की
 धारा 53 के अन्तर्गत वाद चलाने योग्य नहीं है।

वादीजा द्वारा उद्धृत वाद अन्तर्गत
 धारा 53, 188 राजस्व-मान का रिकॉर्ड आधिकारिक
 वादीजा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के
 अनुसार खालेदार का बतकार नहीं होने से खारिज
 किया जाता है। निर्णय करे राजस्व सुभाषा
 जया रिक्ती पर्चा जारी हो।

पत्रावली फागल शुभार होकर
 फागल शुभार से कम हो।

सहायक जज
 मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. कमला देवी पत्नी देबी लाल जी जाति विश्‍नोई आयु 52 वर्ष निवासी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र गंगाराम जी जाति विश्‍नोई आयु बालिग निवासी कुमावतो का मन्दिर के पास, दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पुत्र कुका विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. शंकर लाल पुत्र कुका विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नन्दू पुत्री रूपा पत्नी कजोड़ जी विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. देउ उर्फ लीला पुत्री चुन्नी लाल पत्नी श्री मांगी लाल विश्‍नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. कल्ली पुत्री श्री चुन्नी पत्नी श्री लादू लाल विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. मांगी देवी पत्नी चुन्नी लाल विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. सरस्वती पत्नी कमलेश विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. रेखा पुत्री कमलेश विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राज पुत्र कमलेश विश्‍नोई आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी कमलेश विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. पिन्दू पुत्री कमलेश विश्‍नोई आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी कमलेश विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. प्रियंका पुत्री कमलेश विश्‍नोई आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी कमलेश विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. प्रेम देवी पुत्री श्री चुन्नी लाल पत्नी श्री श्याम लाल विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0 टि0 अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 62/2015 राजस्व वाद

वादीया स्वयं एवं वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री दूधा राम कुमावत उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 22.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादीया के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा